>

Title: Regarding reservation in promotion for SCs/STs.

श्री पन्ना लाल पुनिया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने, विचार रखने का अवसर प्रदान किया। यह मामला प्रमोशन इन रिजर्वेशन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमैंट दिया है, उससे भ्रांति फैली है। आम तौर से राज्य सरकारों में यह धारणा आयी है कि अब प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त हो गया है। मैं इसकी पृष्ठभूमि में बता दूं कि वर्ष 1992 में पहली बार इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि एससी, एसटी के इम्प्लायज, अधिकारी और कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन अनुमन्य नहीं है। पार्लियामैंट ने इस पर विचार किया और 77वां संविधान संशोधन आया। उस संशोधन में कहा गया कि नहीं, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकती है। यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने कहा कि ठीक है, रिजर्वेशन तो दे सकते हैं, लेकिन सीनियोरिटी इसमें नहीं मिलेगी। उसके बाद 85वां संविधान संशोधन इसी पार्लियामैंट से पास हुआ और यह कहा गया कि कॉनसीक्वैंशियल सीनियॉरिटी भी दी जायेगी। तब से यह चला आ रहा था। इसमें बहुत से रिट पिटीशन्स हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिट पिटीशन्स को इकट्ठा करके निर्णय दिया। वह निर्णय अभी भी एम. नागराज केस में आया है। एम. नागराज केस में कहा गया कि 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन, दोनों वैधानिक है, कांस्टीट्यूशनली वैलिड हैं, लेकिन किसी भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है, तो तीन बातें अवश्य देखनी होगी और उसकी स्टडी करानी होगी। एक, उन्होंने कहा कि इन वर्ग के लोगों में आज भी बैकवर्डनैस है या नहीं, इसकी स्टडी करानी होगी। दूसरा, इस वर्ग के लोगों को सर्विसेज में एडिक्वेट रिप्रैजेंटेशन है या नहीं, यह भी स्टडी करानी होगी। तीसरा, अगर एससी, एसटी के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जाती है, तो यह भी अध्ययन कराना होगा कि क्या प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ये तीन कंडीशन्स रखीं । इन तीन कंडीशन्स के आधार पर कई राज्य सरकारों ने कहा कि अब तो प्रमोशन में रिजर्वेशन बंद हो गया। राजस्थान में अभी कोई मामला आया, तो उसमें चीफ सैक्रेट्री और डीओपीटी, प्रिंसिपल सैक्रेट्री को कंटैम्प्ट नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमैंट दिया है, वे इसी तरह के केसेज हैं। उसमें उन्होंने कहा कि एम. नागराज केस के हिसाब से प्रोमोशन में रिजर्वेशन लागू हो और विभिन्न राज्य सरकारों ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन आदेश या नियम जारी किये हैं, वे नियमावली असंवैधानिक है, वह संविधान के अनुसार नहीं है। मैंने डीओपीटी, मिनिस्टर और प्रधान मंत्री जी को भी यह लिखा था कि श्री एम. नागराज केस के खिलाफ कोई न कोई रिट पिटीशन होनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर हम बैकवर्डनैस की बात करते हैं, तो वह ओबीसी के लिए अनुमन्य है, ओबीसी में लागू है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एक अलग क्लास है और यह अनडिस्प्यूटेडली बैकवर्ड हैं। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। इंदिरा साहनी मामले में नौ जज़ेज की बेंच थी और एम. नागराज केस में, जिस बेंच ने कहा कि बैकवर्डनेस पर हमको अध्ययन करके यह फाइंडिंग देनी होगी, वह सिर्फ पांच जज़ेज की बेंच थी, इस तरह से नौ जज़ेज की बेंच के निर्णय का प्रभाव रहता है और पांच जज़ेज की बेंच के निर्णय का प्रभाव नहीं है। हमने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिट पेटीशन या रिव्यू पेटीशन करके इसमें क्लेरिफिकेशन कराना चाहिए कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए बैकवर्डनेस का और जो बाकी मानक हैं, वे लागू नहीं होते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 77वें एवं 85वें संविधान संशोधनों को वैधानिक होल्ड कर दिया है, तो उनको लागू होना चाहिए और सब जगह रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू रहना चाहिए। मेरा आपसे कहना है कि अभी तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे भ्रांति फैली है। इसमें मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और एम.नागराज केस को क्लेरिफाई करें। अगर यह नागराज हमेशा रास्ते में खड़ा हुआ मिलेगा, तो अनुसूचित जाति का कभी भला नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि इसमें अवश्य जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है। मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी से, डीओपीटी से कि एम.नागराज केस को क्लेरिफाई करके, इससे रास्ते में जो अड़चनें पैदा हुई हैं, उनको खत्म किया जाए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: If you want to associate yourself with this issue, please send the slip.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा,

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी,

श्री शैलेन्द्र कुमार,

डॉ. बलीराम,

श्री रघुवीर सिंह मीणा,

श्री सज्जन वर्मा,

श्री महिन्दर सिंह केपी,

श्री पी.टी.थॉमस,

श्री कमल किशोर 'कमांडो',

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्रीमती संतोष चौधरी स्वयं को श्री पी. एल. पुनिया द्वारा शून्यकाल में उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, the hon. Minister is sitting here and he should react on this issue. ...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, on the issue of reservation on promotions for SCs and STs, twice the Government brought an amendment in the Act, and it was set aside by the Supreme Court. Thereafter when the Nagaraj case, the Rajasthan High Court case, came we referred the matter to the Department of Law and Justice. The Department of Law and Justice said that the guidelines framed in the Nagaraj case have to be considered by the Government of India. Even then the discussion is going on. I take into consideration the hon. Member's view on what further course of action the Government of India is to take on the reservation on promotion for SCs and STs.

SHRI KODIKKUNNIL SURESH : When are you going to take action, Sir?

SHRI V. NARAYANASAMY: I said we are going to take it up. He gave the suggestion. The Government will sit with the Department of Law and Justice and also the Ministry of Social Justice and we will take immediate action on that.